अनुसूची १४–फारम सं0–४६२

आदेश–पत्रक

(ऐसे अभिलेख हस्तक, १६४१ का नियम १२६)

आदेश पत्रक – ता0.....से.....तक

जिला....., सं0....., सन् १६.....

केस का प्रकार.....

आदेश की क्रम संख्या कीस तारीख १	आदेश और पदाधिकारी का हस्ताक्षर २	आदेश पर की गई कार्रवाई के बारे टिप्पणी, तारीख–सहित ३

न्यायालय आयुक्त कोशी प्रमंडल, सहरसा

भूमि विवाद अपील वाद संख्या 32/2012

मनोज सिंह एवं अन्य —— अपीलार्थीगण

वनाम

रामदेव सिंह एवं राज्य —— रेस्पोण्डेन्ट्स

–::आदेश::–

प्रस्तुत अपील वाद श्री मनोज सिंह, मुकेश सिंह दोनों पे0 स्व0 जगदीप नारायण सिंह, झुनकू सिंह, पे0– सरोज सिंह, सभी साकिनान – सुगमा, थाना– सलखुआ, ओ0 पी0 बनमा ईटहरी, जिला– सहरसा द्वारा भूमि विवाद निराकरण वाद संख्या 62/11 राम देव सिंह बनाम मनोज सिंह वो0 में भूमि सुधार उप समाहर्त्ता, सिमरीबख्तियारपुर द्वारा पारित आदेश के विरूद्ध इस न्यायालय में दायर किया गया है।

अपील आवेदन में अपीलार्थी का कथन है कि अपीलार्थी निम्न न्यायालय में प्रतिवादी थे तथा विपक्षी संख्याः 1 वादी थे। विवादग्रस्त संपत्ति मौजा–सुगमा, अंचल–सलखुआ खाता पुरानाः 103/क, नया–77 खेसरा पुराना– 472 नया–794 रकवा 1 कट्ठा थी। माननीय निम्न न्यायालय के अभिवचन वो अभिकथन वो भूमि विवाद निराकरण अधिनियम के प्रावधानों के विपरीत प्रस्तुत वाद में विपक्षी का अर्जी दावा स्वीकृत कर लिया।

प्रस्तुत वाद की सुनवाई हेतु निर्धारित तिथि दिनांकः 12.07.2013 को वाद पुकारा गया अपीलार्थी अनुपस्थित थे। इन्हें एक अवसर प्रदान करते हुए सुनवाई हेतु आगामी तिथि 26.07.13 निर्धारित की गयी थी। उक्त तिथि को अपीलार्थी द्वारा समय आवेदन दिया गया। वाद पुकारे जाने पर अपीलार्थी पुनः

अनुपस्थित पाये गये।

अपील आवेदन में अपीलार्थी का कथन है कि स्व० जगदीप सिंह के तीन लड़के है तथा तीनों के तीनों जीवित है। विपक्षी ने निम्न न्यायालय में स्व० जगदीप नारायण सिंह के मात्र दो पुत्र एवम बड़े पुत्र सरोज कुमार सिंह के बड़े पुत्र झुनकू सिंह को प्रतिवादी बनाया तथा निम्न न्यायालय में अपीलार्थी द्वारा संबंधित लोगों को न तो प्रतिवादी ने पक्षकार बनाया, और ना ही निम्न न्यायालय ने इस तथ्य पर दृष्पात किया कि वाद में पक्षकारों का लोप है। प्रतिवादी एवम अपीलार्थी के पिता के बीच संपूर्ण मरौसी जायदाद का आपसी बँटवारा दिनांकः 8.04.1974 को ही हो गया वो भी सभी हिस्सेदारों के हिस्से का अलग–अलग कागजात तैयार हुआ वो भी सभी हिस्सेदार ने अपनी–अपनी सहमति जताई तथा संहर्श बंटवारा को स्वीकार किया वो भी बंटवारानामा पर अपना–अपना हस्ताक्षर किया। दिनांकः 8.7.1974 के बंटवारा नामा जिस पर प्रतिवादी का हस्ताक्षर सिप्त है वो भी जगदीप नारायण सिंह के हिस्सा में दिया गया है अवलोकन से स्पष्ट है कि खाता पु० 103/क खेसरा–472 में जगदीश नारायण सिंह को पुरब से 1 कट्ठा 03 धुर जमीन मिला है। बंटवारा के समय से जगदीप नारायण सिंह अपने हिस्से की जमीन पर हकदार वो दखलकार रहते चले आ रहे हैं वो मोताबिक बंटवारा के सभी हिस्सेदार ने अपने–अपने हिस्से की जमाबंदी बिहार सरकार के सिरिस्ता में कायम करवाया वो इस प्रकार खाता–103/क खेसरा–472 की जमाबंदी संख्याः 365 कायम हुआ वो अपीलार्थी वित्तीय वर्षः 2003–04 तक राजस्व लगान चुकता कर राजस्व रसीद प्राप्त किए हैं। हाल सर्वे खतियान के प्रकाशन के पश्चात् एक बार पुनः अपीलार्थी गण के पिता विपक्षी एवम अन्य फरीकेन आपस में बैठकर पुराने बंटवारा की समीक्षा नये खाता खेसरा के अनुरूप किए वो तद्नुसार दिनांकः 01.08.2006 को नया बंटवारानामा तैयार हुआ वो नया बंटवारानामा के क्रमांकः 12 पर खाता नया–77 खेसरा नया–794 रकवा 5 डीसमल लोकेशन–गोरहा पुरब से अपीलार्थी के पिता के हिस्से में पड़ा वो इस बंटवारानामा पर भी विपक्षी का हस्ताक्षर सिप्त है।

अपीलार्थी का अपील आवेदन में यह भी कथन है कि परिवार के आपसी बंटवारानामा दिनांकः 08.04.1974 एवम दिनांकः 01.08.2006 के अनुसार खाता पुराना–103/क नया–77 खेसरा पुराना–472 नया–794 रकवा : 5 डीसमल (1 कट्ठा 3 धुर) करीबन जमीन अपीलार्थी के परिवार की है। विपक्षी के कथन के अनुरूप विपक्षी ने एक हिस्सेदार राजदीप सिंह से निबंधित दस्तावेज संख्याः 9516 दिनांकः 13.06.89 से खाता पुराना–103/क नया–77 खेसरा पुरानाः 472 नयाः 794 खरीद किया वो खरीदगी जमीन का दाखिल खारिज करवाने के पश्चात् जमाबंदी संख्याः 678 कायम हुआ वो वर्षः 97–98 तक के राजस्व का भुगतान किया गया है। अपीलार्थीगण को खाता पुरानाः 103/क नयाः 77 खेसरा 472 नयाः 794 में मात्र 05 डीसमल यानि 01 कट्ठा 3 धुर से मतलब है। दिनांकः 01.08.2006 को नया खाता खेसरा के

अनुरूप हुए आपसी बंटवारा पर आवेदक एवम विपक्षी दोनों के हस्ताक्षर सिप्त हैं तथा उस तिथि तक विपक्षी ने इस तथ्य का खुलासा नहीं किया कि एक हिस्सेदार से निबंधित दस्तावेज से केबाला लिया है तथा माननीय निम्न न्यायालय में वाद करना विपक्षी के नीयत पर प्रश्न चिन्ह है।

अपीलाथी का अपील आवेदन में यह भी कथन है कि निम्न न्यायालय ने इस मौखिक कथन पर विश्वास किया कि विपक्षी के नाम से जमाबंदी संख्याः 678 कायम है लेकिन दस्तावेजी साक्ष्य जो कि अंचल कार्यालय से प्राप्त किया गया तथा निम्न न्यायालय में दाखिल किया गया कि जमाबंदी संख्याः 678 किसी अन्य व्यक्ति के नाम से है को झूठला दिया। निम्न न्यायालय ने विपक्षी के इस कथन को भी स्वीकार कर लिया कि विपक्षी को अपीलार्थी से दिनांकः 05.05.2011 को बेदखल कर दिया जबकि दोनों पक्षों के बीच उसके पूर्व से द०प्र०सं० की धारा 144 के तहत् कार्रवाई चल रही थी तथा दिनांकः 02.05.2011 को द०प्र०स० की धारा 144 को धारा 145 की कार्यवाही में परिवर्तित किया गया। निम्न न्यायालय के आदेश फलक पृष्ठ संख्या–3 के अनुसार जगदीप नारायण सिंह ने निबंधित दस्तावेज से जमीन बिक्री किया है जबकि यह तथ्य पूर्ण तथा गलत वो निराधार है।

अपीलार्थी द्वारा निम्नलिखित कागजात की छाया प्रति सबूत के तौर पर दाखिल किया गया हैः–

बॅटवारा दिनांक 08.04.74 की छाया प्रति–	1 फर्द
बॅटवारा दिनांक 01.08.06 की छाया प्रति–	1 फर्द
कार्यपालक पदाधिकारी का स्थल जॉच की छाया प्रति–	1 फर्द
थानाध्यक्ष का स्थल जॉच प्रतिवेदन –	1 फर्द
सरपंच का प्रतिवेदन–	1 फर्द
इनफारमेशन स्लीप–	1 फर्द
राजस्व रसीद–	1 फर्द
अनुमण्डल पदाधिकारी का आदेश फलक मिस केश नं0– 49/11	7 फर्द।

विपक्षी का कथन है कि मौजा–सुगमा, खाता नया –77 खेसरा नया –794 का कुल रकबा 46 डी0 रहता आया वो दो फरीग तारणी सिंह एवं प्रियवत नारायण सिंह का उसमें आधा हिस्सा 23–23 डी0 का रहता आया वो उक्त खेसरा पुराना खाता–103 (क) पुराना खेसरा –472 एवं 471 से बना है। जिसमें दक्षिण तरफ से तारणी सिंह के वारसान यानि राजदीप सिंह, जगदीप नारायण सिंह चन्द्रदीप नारायण सिंह वो राम देव सिंह को 1–1 कट्ठा हिस्सा प्राप्त रहते आया।

उपरोक्त 1 कट्ठा जमीन जो राजदीप सिंह को हिस्सा में मिला वहीं एराजी वजरिये रजिष्ट्री केवाला 13.06.89 से विपक्षी को बिकी किये वो दखल कब्जा दिला दिए। बॅटवारा के संबंध में विपक्षी का कथन है कि विपक्षी और अपीलार्थी के बीच विवादी जमीन के अतिरिक्त अन्य जमीन का बॅटवारा वर्ष

1975–76 में ही हो चुका था तथा जिसका दाखिल खारीज केश नं0 9/75–76 चला वो जिसमें चारों फरीक के नाम से अलग–अलग बॅटवारा के मुताबिक जमाबन्दी कायम हुई। चूँकि विवादी भूमि के निश्वत दफा 145 का मुकदमा श्रीमान कार्यपालक दण्डाधिकारी, सहरसा के यहाँ हरिबल्लभ सिंह प्रथम पक्ष बनाम राजदीप सिंह द्वितीय पक्ष के बीच चला जिसमें दिनांक 22.05.89 को राजदीप सिंह के पक्ष में आदेश पारित हुआ वा तद्नुसार उक्त सम्पति को तारणी सिंह के चारों पुत्रों के बीच विभाजन हुआ वो राजदीप सिंह को 1 क0 एराजी प्राप्त रहता आया जिसे वे विपक्षी गण को वजरिये रजिष्ट्री केवाला से बिकी कर दिये। विवादी भूमि अन्दर खाता 103 (क) खेसरा पु0 472 खाता नया –77 खेसरा नया –794 रकबा 1 क0 जमीन पूरब सड़क लगाकर हम विपक्षी को बिकी किया गया है तथा मुताविक आपसी बॅटवारा के पश्चिम में हम विपक्षी को जिस कदर हिस्सा मिला उक्त दोनों चौहद्दी केबाला में दर्ज है। तारणी सिंह के मृत्यु के उपरान्त उक्त एराजी पर उनके चारों पुत्रों का हिस्सा होना कानूनी है वो उसी खास हिस्सा के मुताबिक राजदीप सिंह ने विवादी जमीन वजरिये रजिष्ट्री केबाला संख्याः 9516 दिनांक 13.06.89 को बिकी विपक्षी राम देव सिंह को किये हैं वो मुताबिक उसके राम देव सिंह का दखल कब्जा उक्त एराजी पर हुआ वो उनके नाम से बिहार सरकार में जमाबन्दी भी चला।

विपक्षी द्वारा निम्नलिखित कागजात की छायाप्रति निम्न न्यायालय के समक्ष समर्पित किया गया है जो निम्न न्यायालय के अभिलेख में रक्षित हैः–

रजिस्टर दस्तावेज नं०–9516 राजदीप सिंह बहक, रामदेव सिंह दिनांक 13.06.1989

लगान रसीद जमाबंदी नं०–678 रैयत रामदेव सिंह

अनुमंडल दंडाधिकारी सिमरीबख्तियारपुर का आदेश

विपक्षी के अधिवक्ता को सुना तथा अभिलेख पर रक्षित कागजात के अवलोकन से पाया कि अपीलार्थीगण/प्रतिवादीगण निम्न न्यायालय एवं इस न्यायालय में अर्जी दावा साबित करने में सक्षम नहीं रहे हैं। अतएव अपील आवेदन अस्वीकृत। इसके साथ ही अपील वाद की कार्रवाई समाप्त की जाती है।

लेखापित एवं संशोधित।

20/9/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा

20/9/2013

आयुक्त,
कोशी प्रमंडल, सहरसा